



2026:AHC:167233-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - सी संख्या - 23852/2026

मेसर्स टर्बन मोबिलिटी एलएलपीयाचिकाकर्ता(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रत्युत्तरदाता(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजीत कुमार दुबे
प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., कौशलेन्द्र नाथ सिंह

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी
माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता; राज्य-प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गोपाल चंद्र सक्सेना एवं न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (संक्षेप में "नोएडा") के विद्वान अधिवक्ता श्री कौशलेन्द्र नाथ सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सार्थक सिन्हा को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोषों की मांग के साथ योजित की गई है:-

"(i) प्रत्युत्तरदाता संख्या 3 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15.04.2026 को उत्प्रेषण (सर्टियोरेरी) रिट की प्रकृति में निरस्त करने के लिए (रिट याचिका का संलग्नक संख्या 5).

(ii) प्रत्युत्तरदातागण को कार्य बहाल करने के साथ-साथ याचिकाकर्ता फर्म का नाम वर्जित/काली सूची (ब्लैकलिस्टेड) में डाली गई फर्मों की श्रेणी से हटाने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए।"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिपादित किया कि आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया है और यह समझौता जापन (एमओयू) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनिवार्य संविदात्मक प्रक्रिया का भी घोर उल्लंघन है। अपने कथनों के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिट-सी संख्या 27092 वर्ष 2025 (मेसर्स

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका एंटरप्राइजेज एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य), निर्णीत दिनांक 31.03.2026 में पारित निर्णय एवं आदेश पर भी विश्वास किया है।

4. दूसरी ओर, प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति उठाई और इस संबंध में पक्षकारों के बीच हुए समझौते के अनुच्छेद 14 पर विश्वास किया, जो वैकल्पिक मंच प्रदान करता है। उन्होंने समझौते के अनुच्छेद 14.2 और 14.3 पर विश्वास किया, जिन्हें सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया जा रहा है:-

"14.2 वार्ता

यदि इस समझौते के अंतर्गत या इससे संबंधित अथवा इसके उल्लंघन, समाप्ति या वैधता के संबंध में कोई विवाद, संवाद या दावा उत्पन्न होता है ("विवाद"), तो ऐसे विवाद को किसी भी पक्षकार द्वारा तीस दिनों के लिखित नोटिस ("विवाद नोटिस") के माध्यम से समाधान के लिए अपने नामित वरिष्ठ अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा। पक्षकार सभी विवादों को तुरंत और न्यायसंगत रूप से हल करने का प्रयास करने तथा सामान्य व्यावसायिक घंटों के दौरान ऐसे किसी भी विवाद से संबंधित सभी गैर-विशेषाधिकार प्राप्त अभिलेखों, सूचनाओं और डेटा तक एक-दूसरे को उचित पहुंच प्रदान करने के लिए सहमत हैं।

"14.3 विवाद समाधान

1. उपर्युक्त रीति से किसी प्रश्न, विवाद और/या मतभेद का निपटारा न होने की स्थिति में, विवाद को विरोधी पक्षकार के परामर्श से सी.ई.ओ., नोएडा द्वारा नामित मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) के नामांकन के लिए अध्यक्ष/सी.ई.ओ. नोएडा को संदर्भित किया जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
2. इस संविदा पर लागू होने वाली विधि भारत में प्रवृत्त विधि होगी। गौतम बुद्ध नगर के जिला न्यायालयों और इलाहाबाद/प्रयागराज स्थित उच्च न्यायालय को इस संविदा/एमओयू के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी मामलों में अनन्य अधिकारिता प्राप्त होगी।"

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. प्रत्युत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक बार जब उपर्युक्त प्रावधानों के दृष्टिगत याचिकाकर्ता के पास प्रभावकारी अनुतोष उपलब्ध है, तो वर्तमान रिट याचिका समझौते के निबंधनों के अनुसार प्रभावकारी वैकल्पिक अनुतोष के आधार पर निरस्त किए जाने योग्य है।

6. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश वास्तव में संविदा निरस्तीकरण के साथ-साथ काली सूची में डालने का दोहरा आदेश है। प्रारंभ में याचिकाकर्ता को जो नोटिस जारी किए गए थे, वे केवल सेवा में कमी के संबंध में कारण बताओ नोटिस थे, परंतु उनमें से कोई भी नोटिस वास्तव में फर्म को काली सूची में डालने के संबंध में नहीं था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि काली सूची में डालने के लिए याचिकाकर्ता को पृथक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना निश्चित है, अन्यथा याचिकाकर्ता की फर्म को काली सूची में डालने का आदेश दुर्भावनापूर्ण होगा।

7. हमने विरोधी पक्षकारों के कथनों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

8. आक्षेपित आदेश के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि यह आदेश वास्तव में एक द्वितीय आदेश है। प्रथमतः, यह कुछ कमियों के लिए याचिकाकर्ता की संविदा को समाप्त करता है, जो विभिन्न नोटिसों से स्पष्ट हैं और द्वितीयतः, यह याचिकाकर्ता फर्म को भविष्य की संविदाओं के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डालता है। हमें उन नोटिसों को भी देखने का अवसर मिला, जो प्रतिशपथ-पत्र के साथ संलग्न थे। नोटिसों के साधारण परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि किसी भी प्रक्रम पर नोटिस में फर्म को काली सूची में डाले जाने का कोई संदर्भ नहीं था। हम आक्षेपित आदेश में फर्म को काली सूची में डालने का कोई कारण खोजने में असमर्थ हैं, जिसके लिए याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था।

9. यह सुस्थापित विधि है कि उचित कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना और उसके पश्चात प्राप्त उत्तर के बिना काली सूची में डालने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। माननीय शीर्ष न्यायालय ने इरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं एक अन्य, (1975) 1 एससीसी 70 और यूएमसी टेक्नोलॉजीज (पी) लिमिटेड बनाम भारतीय खाद्य

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निगम एवं एक अन्य, (2021) 2 एससीसी 551 के प्रकरणों में यह निर्धारित किया है कि काली सूची में डालने से पूर्व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना निश्चित है।

10. शीर्ष न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने द ब्लू ड्रीमज़ एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम कोलकाता नगर निगम एवं अन्य, 2024 आईएनएससी 589 के प्रकरण में निम्नलिखित व्यवस्था दी है:-

"22. काली सूची में डालने की कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा हमेशा एक कठोर अनुतोष के रूप में देखा गया है और पारित आदेशों को कड़े परीक्षण के अधीन रखा गया है। इरुसियन इक्विपमेंट (उपरोक्त) के प्रकरण में, इस न्यायालय ने प्रेक्षण किया था कि

"20. काली सूची में डालने का प्रभाव किसी व्यक्ति को लाभ के उद्देश्यों के लिए सरकार के साथ विधिक संबंध स्थापित करने के विशेषाधिकार और लाभ से वंचित करना है। तथ्य यह है कि काली सूची में डालने के आदेश द्वारा एक अक्षमता उत्पन्न की जाती है, जो यह दर्शाती है कि संबंधित प्राधिकारी को एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि प्राप्त करनी होगी..."

23. मिस्टर बी.एस.एन. जोशी (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निर्धारित किया कि

"41. ... जब किसी ठेकेदार को किसी विभाग द्वारा काली सूची में डाल दिया जाता है, तो उसे संविदा प्राप्त करने से वर्जित कर दिया जाता है... इसका उसके व्यवसाय पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, इसका उस पर विनाशकारी असर होगा... जब कोई मांग की जाती है, यदि संबंधित व्यक्ति दावे के संबंध में कोई सद्भावी (बोनाफाइड) विवाद उठाता है, तो जब तक विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता, उसे व्यतिक्रमी (डिफॉल्टर) घोषित नहीं किया जा सकता है।"

(बल दिया गया)

24. इस न्यायालय ने कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) के प्रकरण में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में काली सूची में डालने/वर्जित करने को अधिशासित करने वाली विधिक स्थिति को निर्धारित करने के पश्चात यह माना कि:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“25. यह कहना पर्याप्त होगा कि "वर्गीकरण/वर्जन" (डिबारमेंट) को उन विचलित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अनुशासित करने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है और अक्सर इसका उपयोग किया जाता है, जिन्होंने कपटपूर्ण कृत्य, अभिलेखों का कूटकरण और अन्य नियमों का उल्लंघन किया हो जिसके अंतर्गत ऐसी संविदाएं आवंटित की गई थीं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि "वर्जन" कभी भी स्थायी नहीं होता है और वर्जन की अवधि हमेशा त्रुटिपूर्ण ठेकेदार द्वारा कारित अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी।

26. दूसरे शब्दों में, जहाँ मामला संविदा के सामान्य उल्लंघन का हो और संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एक सद्भावी विवाद उठाता हो, वहाँ शास्ति के रूप में काली सूची में डालने/वर्जित करने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ वर्षों के लिए वर्जित करना नागरिक मृत्यु (सिविल डेथ) के समान है क्योंकि उक्त व्यक्ति व्यावसायिक रूप से बहिष्कृत हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति और उसके द्वारा नियोजित लोगों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं।”

26. दूसरे शब्दों में, जहाँ प्रकरण संविदा के सामान्य उल्लंघन का हो और संबंधित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण एक सद्भावी (बोनाफाइड) विवाद उठाता हो, वहाँ शास्ति के रूप में काली सूची में डालने/वर्जित करने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कुछ वर्षों के लिए वर्जित करना नागरिक मृत्यु के समान है क्योंकि उक्त व्यक्ति व्यावसायिक रूप से बहिष्कृत हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस व्यक्ति और उसके द्वारा नियोजित लोगों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं।”

11. इरुसियन इक्विपमेंट (उपरोक्त), यूएमसी टेक्नोलॉजीज (उपरोक्त) और द ब्लू ड्रीमज़ एडवरटाइजिंग (उपरोक्त) के प्रकरणों सहित कई निर्णयों में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आलोक में, विधि सुस्थापित है कि काली सूची में डालने से पूर्व उस व्यक्ति को अवसर प्रदान किया जाना निश्चित है जिसे काली सूची में डाला जा रहा है, और इस प्रकार, आक्षेपित आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से प्रभावित है और विधि की दृष्टि में बनाए रखने योग्य नहीं है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में, हमारा यह सुविचारित मत है कि काली सूची में डालने का आदेश अवैध है और निरस्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, काली सूची में डालने के आदेश को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

13. चूंकि हमने पहले ही यह अवलोकन किया है कि प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश द्वैत प्रकृति का है, इसलिए वर्तमान प्रकरण में पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू होता है। यदि काली सूची में डालने का आदेश अपास्त भी कर दिया जाता है, तो भी संविदा निरस्तीकरण का आदेश वैध रहेगा क्योंकि नोटिसों में रेखांकित की गई विभिन्न कमियों का याचिकाकर्ता द्वारा अपने उत्तर में पर्याप्त रूप से स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अतः हम संविदा निरस्तीकरण के आदेश के संबंध में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।

14. जैसा कि ऊपर अवलोकन किया गया है, चूंकि याचिकाकर्ता के पास समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निरस्तीकरण के संबंध में प्रभावकारी अनुतोष उपलब्ध है, इसलिए हम एमओयू में ही प्रदान किए गए विवाद निस्तारण तंत्र के प्रकाश में इस विषय में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। न्याय का उद्देश्य इसी से पूरा होगा कि याचिकाकर्ता को इसका लाभ उठाने की स्वतंत्रता दी जाए, यदि वैसी सलाह दी जाती है। तदनुसार, यदि याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर समझौते के अनुच्छेद 14.2 और 14.3 के निबंधनों के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करता है, तो हम यह अपेक्षा करते हैं कि विधि के अनुसार शीघ्रता से इसका निस्तारण किया जाएगा।

15. वर्तमान रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति श्री महेश चंद्र त्रिपाठी)

10 अगस्त, 2026

एसपी/